**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **अनिल कुमार शर्मा** बनाम **संजय कुमार गुप्ता वगै0**

किस्म मुकदमा निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत मालाखेड़ा

**प्रा0पत्र नम्बर 13/02/2025 दायर दिनांक 02.06.2025**

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.07.2025 | पत्रावली पेश आज पेश हुई। उभय–पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन व चिन्तन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी प्रा0पत्र अनिगरानीकार सं0 2 ग्राम पंचायत मालाखेड़ा पंचायत समिति उमरैण द्वारा अनिगरानीकार सं0 1 के हक में दिनांक 01.06.2023 को जारी किये गये पट्टे के विरूद्ध दिनांक 17.04.2025 को पेश की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालाखेड़ा जिला अलवर द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मालाखेड़ा क्रमोन्नत होकर नगर पालिका मालाखेड़ा के रूप में संस्थापित/संचालित है। ग्राम पंचायत का क्रमोन्नयन नगर पालिका में दिनांक 14.06.2023 को हो गया है। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी न्यायालय हाजा में दिनांक 17.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। चूंकि विवादित पट्टा जारी होने के पश्चात ही ग्राम पंचायत मालाखेड़ा, नगर पालिका मालाखेड़ा में क्रमोन्नत हो गई थी तो विवादित पट्टे में वर्णित स्थल/प्लॉट भी नगर पालिका के क्षेत्राधिकार का है। उक्तानुसार विवादित पट्टे में वर्णित भूमि के संबंध में सुनवाई का न्यायिक क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सक्षम न्यायालय का है। निगरानीकार का निगरानी प्रा0पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>अतः निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना–पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकारान सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।<br><br>**जिला कलक्टर अलवर**<br>**राजस्थान** | |